

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण


अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारित व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मर्दों दत्तमत एवं भारित के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

चार्ट-2.1: बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय वास्तविक व्यय है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, वही भारित किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया ऐसा व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2017-18 के दौरान 31 अनुदानों / विनियोगों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-2.1 एवं चार्ट-2.2 में दी गयी है।


तालिका-2.1: वर्ष 2017-18 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि	31 मार्च को समर्पित धनराशि	कुल समर्पित धनराशि का 31 मार्च को समर्पित धनराशि की प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	26,834.00	2,165.44	28,999.44	25,032.46	(-)3,966.98	162.72	162.72	100
	II पूँजीगत	5,511.37	827.61	6,338.98	6,633.44	(+)294.46	70.93	70.93	100
	III ऋण एवं अग्रिम	252.35	18.00	270.35	76.83	(-)193.52	00	00	00
योग-दत्तमत		32,597.72	3,011.05	35,608.77	31,742.73	(-)3,866.04	233.65	233.65	100
भारित	IV राजस्व	4,716.83	4.70	4,721.53	4,050.41	(-)671.12	3.64	3.64	100
	V पूँजीगत	3.00	0.00	3.00	00	(-)3.00	00	00	00
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	2,640.23	0.00	2,640.23	7,651.62	(+)5,011.39	00	00	00
योग-भारित		7,360.06	4.70	7,364.76	11,702.03	(+)4,337.27	3.64	3.64	100
कुल योग		39,957.78	3,015.75	42,973.53	43,444.76	(+)471.23	237.29	237.29	100

स्रोत : विनियोग लेखे।

चार्ट-2.2: प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति




जैसा कि तालिका-2.1 में प्रदर्शित है, ₹ 471.23 करोड़ का कुल आधिक्य व्यय हुआ था जो कि पूँजीगत दत्तमत के अन्तर्गत छः अनुदानों और पूँजीगत भारत के अन्तर्गत एक विनियोग में ₹ 6,413.38 करोड़ के आधिक्य और तीस अनुदानों और आठ विनियोग में ₹ 5,942.15 करोड़ की बचत का परिणाम था।

2.2.1 पूँजीगत और राजस्व

पूँजीगत खाते में व्यय आधिक्य बताया गया था। हालांकि, राजस्व खाते में बचत पायी गई थी (चार्ट-2.3)।

चार्ट-2.3: पूँजीगत और राजस्व वर्गों के अन्तर्गत बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2017-18 के दौरान, जिन विभागों एवं अनुभागों में आवंटन के सापेक्ष महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया, उनका विवरण तालिका-2.2 में दिया गया है।

तालिका-2.2: 2017-18 के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	आधिक्य व्यय
1.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएं	पूँजीगत (भारित)	5,011.39
2.	25	खाद्य	पूँजीगत (दत्तमत)	1,322.39
योग				6,333.78

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल एक अनुदान और एक विनियोग में ही 98.76 प्रतिशत का आधिक्य व्यय हुआ।

इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के दौरान आवंटन के सापेक्ष जिन विभागों में महत्वपूर्ण बचत पायी गई, वे राजस्व और सामान्य प्रशासन (₹ 969.95 करोड़), वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध (₹ 1,134.71 करोड़), शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति (₹ 551.38 करोड़), चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (₹ 592.79 करोड़), जल आपूर्ति, आवास और शहरी विकास (₹ 364.75 करोड़), कल्याण (₹ 368.84 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 612.98 करोड़), ऊर्जा (₹ 196.67 करोड़) और अनुसूचित जाति का कल्याण (₹ 307.01 करोड़) थे।

पर्याप्त बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों को सूचित (जुलाई 2018) किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुए (फरवरी 2019)।

2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्ययाधिक्य

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल (उ ब मै) के तेरहवें अध्याय के प्रस्तर 121 के अनुसार, अनाधिकृत आधिक्य व्यय करना आपत्तिजनक है तथा उससे बचा जाना चाहिए। छः प्रकरणों में, ₹ 10,810.75 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 6,412.89 करोड़ अधिक था, जो कि प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था। इसका ब्यौरा परिशिष्ट-2.1 में दिया गया है। इनमें से अनुदान संख्या 25-खाद्य (तालिका-2.3) में पिछले पाँच वर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है।

तालिका-2.3: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	25-खाद्य	1,775.56	1,738.25	2,203.83	2,245.80	1,322.39

स्रोत: विनियोग लेखे।

निरंतर व्ययाधिक्य यह दर्शाता है कि विभाग में बजट नियंत्रण अप्रभावी था और बजट अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे। राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित अनुदानों के सापेक्ष लगातार व्ययाधिक्य विधानमंडल की इच्छा और लोकतंत्र के इस मूल सिद्धांत का उल्लंघन है कि विधायिका की स्वीकृति के बिना एक रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता है, और, इसलिए इसे गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। आधिक्य व्यय के सभी मौजूदा मामलों को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में, गंभीर एवं अत्यधिक आपात स्थिति के मामलों को छोड़कर, इस तरह के अप्रदत्त व्यय को पूरी तरह से रोका जा सकता है, जिनकी लागत आकस्मिकता निधि से पूरी नहीं की जा सकती है।

2.3.2 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से आधिक्य व्यय

उ ब मै के अध्याय तेरह का प्रस्तर 121 दर्शाता है कि यदि वर्ष की समाप्ति के बाद विनियोग लेखे के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उसी वर्ष के किसी अनुदान अथवा भारित विनियोग में कुल अन्तिम विनियोग से अधिक व्यय किया गया है, आधिक्य व्यय सविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार मांगों को विधायिका में प्रस्तुत कर लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। **तथापि, वर्ष 2005 से 2017 तक का ₹ 20,780.77 करोड़ का आधिक्य व्यय राज्य विधायिका से नियमित किया जाना शेष था।** नियमितीकरण हेतु वर्षवार आधिक्य धनराशि **तालिका-2.4** में सारांशित है।

तालिका-2.4: विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय
(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान / विनियोगों के ब्यौरे	प्रावधान से अधिक व्यय की राशि
2005-06	7	7,8,17,20,22,25 एवं 29	6,63.50
2006-07	6	7,17,20,22,25 एवं 29	9,35.92
2007-08	6	7,17,20, 22,25 एवं 29	7,33.79
2008-09	6	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41
2009-10	7	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40
2011-12	5	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34
2013-14	3	22,25 एवं 29	1,837.15
2014-15	4	17,22, 25 एवं 29	1,922.80
2015-16	4	17,22, 25 एवं 29	2,334.24
2016-17	4	7,17,25 एवं 29	5,457.33
योग			20,780.77

स्रोत:- विनियोग लेखे।

यह विधायी मंशा के विपरीत है और सार्वजनिक धन के उपयोग पर कार्यकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता है। इस तरह की विस्तारित अवधि के लिए शेष रहे अनियमित आधिक्य व्यय को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है क्योंकि यह सरकारी खजाने पर विधायी नियंत्रण को कम करता है और इसलिए, आधिक्य व्यय के सभी वर्तमान प्रकरणों को शीघ्रतः नियमित करने की आवश्यकता है और बजट से आधिक्य होने पर नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.3.3 वर्ष 2017-18 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका-2.5 में वर्ष 2017-18 के दौरान छः अनुदानों तथा एक विनियोजन में राज्य की संचित निधि (सं नि) से प्राधिकृत से अधिक व्यय ₹ 6,413.39 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका-2.5: 2017-18 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य
पूँजीगत-भारित					
1.	7	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	2,640.23	7,651.62	5,011.39
पूँजीगत (दत्तमत)					
1.	14	सूचना	8.27	8.76	0.50
2.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	23.03	26.75	3.72
3.	20	सिंचाई एवं बाढ़	292.18	337.88	45.70
4.	22	लोक निर्माण	1,369.20	1,395.28	26.08
5.	25	खाद्य	19.27	1,341.67	1,322.39
6.	27	वन	53.95	57.56	3.61
योग			4,406.13	10,819.52	6,413.39

स्रोत: विनियोग लेख।

राज्य सरकार / विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को फरवरी 2019 तक सूचित नहीं किया गया था।

2.3.4 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

₹ 138.20 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान चार प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 1,397.89 करोड़ का व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (परिशिष्ट-2.2)।

2.3.5 व्यय की तीव्रता

उ ब में के अध्याय सत्रह का प्रस्तर 183 यह प्रकट करता है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। उत्तम वित्तीय प्रबन्धन के लिए व्यय की एक समान गति को बनाए रखना चाहिए। इसके विपरीत, **परिशिष्ट-2.3** में सूचीबद्ध 33 मुख्य शीर्षों में वर्ष 2017-18 के कुल व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2018 में किया गया था।

वर्ष 2017-18 के दौरान 33 मुख्य शीर्षों के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 2,386.03 करोड़ का 59.45 प्रतिशत वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया।


2.3.6 अधिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप बचत

2.3.6.1 अनावश्यक / अधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 34 प्रकरणों में, जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 1,367.58 करोड़ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के

अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा **परिशिष्ट-2.4** में वर्णित किया गया है।

चार्ट-2.4: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोग लेख।

2.3.6.2 निधियों का अधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत पूर्वानुमानित हों, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, को निधियों का स्थानान्तरण है। पुनर्विनियोजन अधिक / अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप सात अनुदानों के अन्तर्गत 66 प्रकरणों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक के व्यय में बचत / आधिक्य हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित है।

बचत के कारण सरकार द्वारा फरवरी 2019 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

2.3.6.3 पर्याप्त अभ्यर्पण

13 अनुदानों में, 80 उपशीर्षों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) किए गए। इन 80 उपशीर्षों में ₹ 343.03 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 148.03 करोड़ (43.15 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 43 योजनाओं में शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ 28.35 करोड़) दत्तमत्त अनुदान में सम्मिलित है जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (अ)** में विस्तारित है और दो अनुदानों में, पाँच उपशीर्षों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक) किए गए। इन दो विनियोग के पाँच उपशीर्षों में ₹ 4.18 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 1.36 करोड़ (32.47 प्रतिशत) का अभ्यर्पण में किया गया जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (ब)** में विस्तारित है।

2.3.6.4 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

तीन प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गयी राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जो इन विभागों में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करती है। इन प्रकरणों में ₹ 15.75 करोड़ की बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 15.90 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.15 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.7** में दिये गये हैं।

2.3.6.5 अनुमानित बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई/आंशिक अभ्यर्पित

उ ब में के अध्याय तेरह के खण्ड 1 का प्रस्तर 124 यह प्रकट करता है कि प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी को बी एम 2 (भाग-II) के प्रारूप में आधिक्य तथा बचत के अन्तिम विवरण तैयार

करने चाहिए जो कि, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 25 जनवरी तक वित्त विभाग तक पहुँच जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2017-18 के अंत में, 17 अनुदान ऐसे थे जिनमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 2,408.87 करोड़ (कुल बचत¹ का 40.54 प्रतिशत) थी, **परिशिष्ट-2.8** में दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹ 5,912.82 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से केवल ₹ 155.90 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था और परिणाम स्वरूप ₹ 5,756.92 करोड़ (₹ 5,912.82 करोड़ की बचत का 97.36 प्रतिशत), अभ्यर्पण नहीं हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट-2.9** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त मार्च 2018 के अंतिम कार्य दिवस में चार प्रकरणों में, ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों की धनराशि ₹ 166.50 करोड़ अभ्यर्पित की गयी (**परिशिष्ट-2.10**), जो अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य उद्देश्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकी।

2.3.6.6 व्यय के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चला कि 55 प्रकरणों में बचत, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (**परिशिष्ट-2.11**)। कुल बचत ₹ 5,941.69 करोड़ के विरुद्ध 16 अनुदानों एवं एक विनियोग से सम्बन्धित 24 प्रकरणों में ₹ 5,524.05 करोड़, (92.97 प्रतिशत)² की बचत हुई जैसा कि **तालिका-2.6** में प्रदर्शित है।

तालिका-2.6: 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों एवं विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,752.67	823.29	46.97
2.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	7,629.63	226.15	2.96
3.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	6,670.18	439.41	6.59
4.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,951.34	510.18	26.15
5.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	755.41	171.25	22.67
6.	15	कल्याण	1,496.97	324.83	21.70
7.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	901.30	64.05	7.11
8.	19	ग्रामीण विकास	1,212.25	557.81	46.01
9.	22	लोक निर्माण	705.46	63.62	9.02
10.	25	खाद्य	237.71	55.36	23.29
11.	27	वन	633.80	82.90	13.08
12.	29	उद्यान विकास	271.11	55.47	20.46
13.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,006.21	245.12	24.36
14.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	315.42	90.34	28.64
योग			25,539.46	3,709.78	14.52
राजस्व-भारित					
1.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	4,634.33	646.15	13.94
योग			4,634.33	646.15	13.94

¹ कुल बचत ₹ 5,942.15 करोड़।

² प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक।

पूँजीगत-दत्तमत					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	728.90	146.15	20.05
2.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	452.00	262.41	58.06
3.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	277.14	111.97	40.40
4.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	146.55	82.61	56.37
5.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	831.00	193.49	23.28
6.	19	ग्रामीण विकास	1,183.16	55.16	4.66
7.	21	ऊर्जा	339.00	196.67	58.01
8.	23	उदद्योग	63.74	57.77	90.63
9.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	306.24	61.89	20.21
योग			4,327.73	1,168.12	26.99
महायोग			34,501.52	5,524.05	16.01

स्रोत : विनियोग लेखें।

बचत के कारण जो कि अपेक्षित थे, अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2019)।

2.3.6.7 निरन्तर बचत

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 45 प्रकरणों, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई (तालिका-2.7)।

तालिका-2.7: पिछले पाँच वर्षों (2013-14 से 2017-18) के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत धनराशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व-दत्तमत						
1.	04-न्यायिक प्रशासन	36.52	35.73	29.67	54.67	19.38
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,466.73	1,037.70	669.86	1,284.98	823.29
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	116.17	480.27	786.13	1,020.53	226.15
4.	08-आबकारी	2.02	1.44	1.91	5.13	2.59
5.	10- पुलिस एवं कारागार	23.71	100.55	60.74	149.77	73.90
6.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	635.48	741.48	811.98	1,313.18	439.41
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	116.11	397.34	514.02	452.31	510.18
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	308.25	175.86	299.99	416.29	171.25
9.	14-सूचना	1.16	1.01	2.19	4.76	3.30
10.	15-कल्याण	178.11	342.56	396.89	504.66	324.83
11.	16-श्रम एवं रोजगार	28.70	58.20	86.03	72.37	19.06
12.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	186.93	91.09	215.51	252.03	64.05
13.	18-सहकारिता	8.53	7.93	6.60	16.69	2.84
14.	19- ग्रामीण विकास	179.22	651.46	126.96	485.65	557.81
15.	20-सिंचाई व बाढ़	36.48	63.40	49.57	100.57	36.58
16.	22-लोक निर्माण	95.65	205.45	119.55	61.65	63.62
17.	23- उदद्योग	20.89	14.02	34.66	106.40	43.01
18.	24-परिवहन	3.22	5.27	5.60	11.69	9.43
19.	25-खाद्य	226.55	224.72	129.08	171.66	55.36
20.	26-पर्यटन	13.43	42.46	4.17	18.69	8.40
21.	27-वन	31.00	1,19.93	80.72	2,10.08	82.90
22.	28-पशुपालन	24.93	33.92	24.21	73.87	22.33
23.	29-उद्यान विकास	40.87	41.31	61.45	49.46	55.47
24.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	210.01	269.50	490.39	542.21	245.12
25.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	58.99	95.59	117.85	138.15	90.34

राजस्व-प्रभारित						
1.	04-न्यायिक प्रशासन	5.52	7.59	8.77	28.12	7.20
2.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	646.03	657.44	414.76	226.69	646.15
3.	09-लोक सेवा आयोग	2.40	1.59	1.64	9.49	10.11
4.	22-लोक निर्माण	1.75	4.71	5.09	1.38	3.95
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	01- विधान मण्डल	22.00	19.97	23.50	9.93	0.46
2.	04-न्यायिक प्रशासन	7.94	19.54	29.06	38.67	3.76
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	13.78	4.85	4.42	74.61	146.15
4.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	40.81	23.09	15.31	310.53	262.41
5.	10- पुलिस एवं कारागार	46.89	7.55	2.91	17.12	8.43
6.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	184.55	189.88	370.80	152.73	111.97
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	188.14	24.27	33.80	32.28	82.61
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	275.08	477.85	157.08	174.45	193.49
9.	15-कल्याण	6.75	74.29	39.12	17.66	44.01
10.	19- ग्रामीण विकास	62.82	219.63	51.80	70.26	55.16
11.	21- ऊर्जा	325.76	361.66	102.42	314.05	196.67
12.	23- उद्योग	28.21	25.81	16.29	34.66	57.77
13.	24-परिवहन	95.18	30.00	59.21	44.41	19.23
14.	26-पर्यटन	47.68	179.95	63.10	71.64	5.22
15.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	300.94	299.68	134.77	117.96	61.89
16.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	81.60	42.37	61.52	59.85	36.65

सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में हुई बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (फरवरी 2019)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016-17 के राज्य वित्त प्रतिवेदन में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्तमान वर्ष के दौरान पर्याप्त संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

2.3.7 बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए, सरकार समेकित निधि से धनराशि अंतरण कर उसे जमा करने के लिए वैयक्तिक जमा खाता खोलने के लिए अधिकृत है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम 8) के प्रावधानों के अनुसार, केवल तत्काल भुगतान की आवश्यकता के लिए ही निधियों का आहरण किया जाएगा और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा करने के लिए सरकारी खाते से नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट अनुदान को कालातीत होने से बचाने के लिए, निधियों का आहरण करके लोक खाते अथवा बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति निषिद्ध है।

वर्ष 2017-18 के अंत तक ₹ 235.52 करोड़ की अव्ययित धनराशि समेकित निधि में अन्तरित करनी शेष रही। आगे, यह भी देखा गया कि मुख्य शीर्ष 4225 और 4235 के अंतर्गत ₹ 0.41 करोड़ और ₹ 0.66 करोड़ की राशि मार्च में वैयक्तिक जमा खातों में स्थानांतरित की गई।

वर्ष 2017-18 के दौरान वैयक्तिक जमा खाता की स्थिति तालिका-2.8 में दी गयी है।


तालिका-2.8: वर्ष 2017-18 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों (मुख्य शीर्ष 8443-106) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द		अंतिम अवशेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
19	185.33	15	135.76	19	85.57	15	235.52

चार्ट-2.5: वैयक्तिक जमा खाते

(₹ करोड़ में)



कुल वैयक्तिक जमा खातों की संख्या में कमी आई है जबकि इसमें शामिल राशि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है।

15 वैयक्तिक जमा खातों के विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 144.14 करोड़ एक वर्ष से अधिक समय से अव्ययित पड़े थे। राज्य की समेकित निधि से वैयक्तिक जमा खातों में धन हस्तांतरित करना और इस धनराशि को खर्च नहीं करने से राज्य की समेकित निधि विवरण से आधिक्य व्यय परिलक्षित होता है।

मुख्य कोषाधिकारी आगे, देहरादून के लेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अंत में जमा खातों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु धनराशि में वृद्धि हुई है।

जमा खातों की 2015-16 से 2017-18 की स्थिति तालिका-2.9 में दिखायी गयी है।

तालिका-2.9: जमा लेखों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जमा शीर्ष	2015-16		2016-17		2017-18	
	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
8338-स्थानीय निधि जमा	05	82.28	05	90.98	05	91.18
8443-सिविल जमा	06	130.74	05	123.71	04	105.06
8448-स्थानीय निकाय निधि	17	33.08	17	38.18	19	109.24
समग्र अवरुद्ध/स्थानान्तरण निधि	28	246.10	27	252.87	28	305.48

स्रोत: मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून के अभिलेख।

इन वैयक्तिक जमा खातों को वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में बंद करने की आवश्यकता थी और समेकित निधि में अव्ययित शेष राशि को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, ऐसा नहीं किया गया।

समय-समय पर वैयक्तिक जमा खातों में शेष राशि के असमाधानित रहने और वित्तीय वर्ष के बंद होने से पहले वैयक्तिक जमा खातों में पड़े हुए बकाया शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित न किया जाना सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग के जोखिम को बढ़ाता है।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन एवं अनुदान संख्या 19- ग्राम्य विकास के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

अनुदान संख्या 06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

अ. राजस्व व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 6.65 प्रतिशत की कमी एवं वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष से 41.19 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.10 में सारांशित है।

तालिका-2.10: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	व्यय में विचलन
2029- भू-राजस्व, 2052- सचिव-सामान्य सेवाएँ, 2053- जिला प्रशासन, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2075- विविध सामान्य सेवाएँ, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2015-16	2,082.10	284.81	2,366.91	1,696.36	670.55	28.33	----
	2016-17	2,666.17	203.23	2,869.40	1,583.60	1,285.80	44.81	(-)-6.65
	2017-18	1,735.54	19.52	1,755.06	931.26	823.80	46.94	(-)-41.19

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान ₹ 670.55 करोड़ (28.33 प्रतिशत) और ₹ 1,285.80 करोड़ (44.81 प्रतिशत) के बीच निरंतर बचत हुई है। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 19.52 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 1,735.54 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 931.26 करोड़) से अधिक था।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में (किसी भी वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक) पिछले वर्षों से, व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विचलन प्रकट हुआ, जैसा कि तालिका-2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.11: अनुदान में पिछले वर्षों में व्यय की प्रवृत्ति में विचलन

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
		2015-16	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
1.	2029-00-103-03	10,896.72	10,493.35	11,525.00	(-)403.37	(+)1,031.65	(-)3.70	(+)9.83
2.	2029-00-800-03	817.22	917.04	0.00	(+)99.82	(-)917.04	(+)12.21	(-)100.00
3.	2070-00-104-04	663.28	809.56	1,007.46	(+)146.28	(+)197.90	(+)22.05	(+)24.45
4.	2070-00-107-04	432.46	531.42	719.69	(+)98.96	(+)188.27	(+)22.88	(+)35.43
5.	2070-00-107-11	276.82	132.85	0.00	(-)143.97	(-)132.85	(-)52.01	(-)100.00
6.	2245-05-800-13	14,613.65	35,567.54	0.00	(+)20,953.89	(-)3,5567.50	(+)143.39	(-)100.00
7.	2245-80-800-01	32,720.45	18,689.98	16,792.74	(-)14,030.50	(-)1,897.24	(-)42.88	(-)10.15
8.	2245-80-800-03	4,886.14	2,166.46	0.00	(-)2,719.68	(-)2,166.46	(-)55.66	(-)100.00
9.	2245-80-800-97	70,000.00	79,153.00	0.00	(+)9,153.00	(-)79,153.00	(+)13.08	(-)100.00
10.	2245-05-101-01	27,436.00	22,000.00	23,100.00	(-)5,436.00	(+)1,100.00	(-)19.81	(+)5.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में, 20.16 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। तथापि, वह वर्ष 2017-18 के दौरान 8,119.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि निम्न तालिका-2.12 में सारांशित है।

तालिका-2.12: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान मूल/ अनुपूरक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति (₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	व्यय में विचलन
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवायें पर पूँजीगत परिव्यय	2015-16	4.81	8.50	13.31	8.88	4.43	33.28	--
	2016-17	80.70	1.00	81.70	7.09	74.61	91.32	(-)20.16
	2017-18	708.40	20.50	728.90	582.75	146.15	20.05	(+)8,119.32

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 4.43 करोड़ (33.28 प्रतिशत), ₹ 74.61 करोड़ (91.32 प्रतिशत) और ₹ 146.15 करोड़ (20.05 प्रतिशत) निरंतर बचत हुई थी। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 80.70 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 7.09 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 20.50 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 708.40 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 582.75 करोड़) से अधिक था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान वर्ष के अंत तक निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत समग्र प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया।

तालिका-2.13: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुपयोगी समय प्रावधान की सारिकृत स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	बचत
1.	2015-16	2029-00-103-01	2,500.00	2,500.00
2.		2245-80-102-01	150.00	150.00
3.	2016-17	2029-00-103-01	2,000.00	2,000.00
4.		2070-00-800-01	177.74	177.74
5.		2245-80-102-01	150.00	150.00
6.		2245-80-800-05	1,000.00	1,000.00
7.	2017-18	2245-80-102-10	500.00	500.00
8.		2245-80-800-12	120.00	120.00
9.		4059-60-051-07	200.00	200.00
10.		4059-60-051-09	120.00	120.00
11.		4250-00-101-01	500.00	500.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0029, 0070 और 0075 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समय स्थिति तालिका-2.14 में सारिकृत है।

तालिका-2.14: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0029, 0070 और 0075 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	संशोधित अनुमान से विचलन (प्रतिशत में)
2015-16	74.02	73.85	65.56	(-)8.29	(-)11.23
2016-17	89.35	210.88	192.25	(-)18.63	(-)8.83
2017-18	124.67	95.67	178.96	(+)83.29	(+)87.06

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पायी गयी जैसा कि तालिका-2.15 में दिया गया है।

तालिका-2.15: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान प्राप्तियों की सारिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिश्चित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिश्चित अनुमान से विचरण (प्रतिशत में)
1.	0029-01-101	2015-16	11.00	11.00	27.88	(+)16.88	(+)153.45
		2016-17	20.20	29.24	29.21	(-)0.03	(-)0.10
		2017-18	34.00	30.00	11.23	(-)18.77	(-)62.57
2.	0029-01-103	2015-16	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	(-)100.00
		2016-17	5.50	0.40	0.40	0.00	0.00
		2017-18	6.00	6.00	0.12	(-)5.88	(-)98.00
3.	0029-01-105	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2016-17	0.00	100.01	100.01	0.00	0.00
		2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	0029-01-800	2015-16	1.12	1.12	0.00	(-)1.12	(-)100.00
		2016-17	1.23	29.95	29.90	(-)0.05	(-)0.17
		2017-18	30.03	7.03	12.72	(+)5.69	(+)80.94

5.	0070-01-102	2015-16	31.60	31.60	43.16	(+11.56	(+36.58
		2016-17	34.76	41.00	38.81	(-)2.19	(-)5.34
		2017-18	44.60	44.60	143.55	(+98.89	(+221.43
6.	0070-01-800	2015-16	0.11	0.11	0.00	(-)0.11	(-)100.00
		2016-17	0.12	0.73	0.06	(-)0.67	(-)91.78
		2017-18	0.00	0.00	0.01	(+)0.01	0.00
7.	0070-02-800	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2016-17	0.00	0.05	0.00	(-)0.05	(-)100.00
		2017-18	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	(-)100.00
8.	0070-60-105	2015-16	0.00	0.00	0.02	(+)0.02	0.00
		2016-17	0.00	0.24	0.00	(-)0.24	(-)100.00
		2017-18	0.15	0.15	0.00	(-)0.15	(-)100.00
9.	0070-60-110	2015-16	0.13	0.13	0.00	(-)0.13	(-)100.00
		2016-17	0.14	0.25	0.00	(-)0.25	(-)100.00
		2017-18	0.30	0.30	0.00	(-)0.30	(-)100.00
10.	0075-01-105	2015-16	21.00	21.00	19.14	(-)1.86	(-)8.86
		2016-17	23.10	5.63	5.64	(+)0.01	(+)0.18
		2017-18	6.00	4.00	0.70	(-)3.30	(-)82.50
11.	0075-01-108	2015-16	2.00	2.00	0.00	(-)2.00	(-)100.00
		2016-17	2.20	1.00	4.89	(+)3.89	(+)389.00
		2017-18	2.00	2.00	4.23	(+)2.23	(+)111.50
12.	0075-01-800	2015-16	1.00	1.00	3.84	(+)2.84	(+)284.00
		2016-17	1.10	1.10	16.48	(+)15.38	(+)1398.18
		2017-18	0.00	0.00	6.38	(+)6.38	0.00
13.	0075-01-900	2015-16	0.00	0.00	-28.47	(-)28.47	0.00
		2016-17	0.00	0.00	-33.17	(-)33.17	0.00
		2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

अनुदान संख्या 19- ग्राम्य विकास

अ. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष से 18.95 प्रतिशत की कमी एवं वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष से 3.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.16 से सारांशित है।

तालिका-2.16: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान मूल / वास्तविक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)	व्यय में वृद्धि (प्रतिशत में)
2501- ग्राम्य विकास के लिये विशेष कार्यक्रम, 2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	2015-16	833.11	73.99	907.10	780.14	126.96	14.00	---
	2016-17	1,112.82	5.18	1,117.99	632.34	485.65	43.44	(-)18.95
	2017-18	1,175.13	37.13	1,212.25	654.44	557.81	46.01	(+)3.49

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान ₹ 126.96 करोड़ (14.00 प्रतिशत) और ₹ 557.81 करोड़ (46.01 प्रतिशत) के बीच निरंतर बचत थी। वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 73.99 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 833.11 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 780.14 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 5.18 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन

(₹ 1,112.82 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 632.34 करोड़) से अधिक था। वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 37.13 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 1,175.13 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 654.44 करोड़) से अधिक था।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में (किसी भी वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक) पिछले वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विचलन प्रकट हुआ, जैसा कि निम्न तालिका-2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.17: अनुदान में पिछले वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति में विचलन

लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
2515-00-003-03	645.17	696.75	830.29	(+)51.58	(+)133.54	(+)7.99	(+) 19.17
2515-00-101-03	568.30	627.70	736.98	(+)59.40	(+)109.28	(+)10.45	(+) 17.41
2515-00-102-01	110.39	60.11	40.00	(-)50.28	(-)20.11	(-)45.55	(-)33.46
2515-00-102-28	69.81	162.14	276.26	(+)92.33	(+)114.12	(+)132.26	(+) 70.38
2515-00-102-97	5,041.89	7,283.44	7,500.00	(+)2,241.55	(+)216.56	(+)44.46	(+)2.97
2515-00-800-03	3,069.53	3,476.74	0.00	(+)407.21	(-)3,476.74	(+)13.27	(-) 100.00
2515-00-800-06	414.20	202.99	0.00	(-)211.21	(-)202.99	(-)50.99	(-) 100.00
2515-00-800-08	6,438.42	7,527.19	118.37	(+)1,088.77	(-)7,408.82	(+)16.91	(-)98.43

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्षों की तुलना में, वर्ष 2016-17 के दौरान 4.42 प्रतिशत की कमी तथा वर्ष 2017-18 के दौरान 60.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.18 में सारांशित है।

तालिका-2.18: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान मूल/ वास्तविक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	व्यय में विचलन
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजनाएँ	2015-16	638.11	148.00	786.11	734.31	51.80	6.59	---
	2016-17	772.10	0.00	772.10	701.85	70.26	9.10	(-)4.42
	2017-18	972.50	210.66	1,183.16	1,128.00	55.16	4.66	(+)60.72

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मुख्य शीर्ष 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजनाएँ में वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 51.80 करोड़ (6.59 प्रतिशत), ₹ 70.26 करोड़ (9.10 प्रतिशत) और ₹ 55.16 करोड़ (4.66 प्रतिशत) की निरंतर बचत थी।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

कुछ उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान वर्ष के अंत तक समग्र प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया जैसा कि तालिका संख्या-2.19 में दिया गया है।

तालिका-2.19: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग (₹ लाख में)
1.	2015-16	2515-00-102-27	100.00	0.00	100.00
2.		2515-00-102-30	0.00	600.00	600.00
3.	2016-17	2515-00-102-07	120.40	0.00	120.40
4.		2515-00-102-12	200.00	0.00	200.00
5.		2515-00-102-27	100.00	0.00	100.00
6.		2515-00-102-31	1,000.00	0.00	1,000.00
7.		2515-00-102-33	300.00	0.00	300.00
8.	2017-18	2501-02-800-01	100.01	0.00	100.01
9.		2515-00-102-07	120.00	0.00	120.00
10.		2515-00-102-12	100.00	0.00	100.00
11.		2515-00-102-27	100.00	0.01	100.01
12.		2515-00-102-30	100.00	0.00	100.00
13.		4515-00-102-09	200.00	0.00	200.00
14.		4515-00-102-12	500.00	0.00	500.00
15.		4515-00-102-15	200.00	0.00	200.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुदान के मुख्य शीर्ष 0501, 0505 एवं 0515 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-2.20 में सारीकृत है:-

तालिका-2.20: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0501, 0505 तथा 0515 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिक्षित अनुमान से विचलन (प्रतिशत में)
2015-16	2.01	3.81	5.71	(+)1.90	(+)49.87
2016-17	5.01	8.70	8.80	(+)0.10	(+)1.15
2017-18	9.91	9.91	4.83	(-)5.08	(-)51.26

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पायी गयी जैसा कि तालिका-2.21 में दिया गया है।

तालिका-2.21: प्राप्तियों की स्थिति, लघु शीर्ष 0501, 0505 तथा 0515

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिक्षित अनुमान से विचलन (प्रतिशत में)
1.	0515-01-101	2015-16	2.01	3.81	5.65	(+)1.84	(+)48.29
		2016-17	5.00	0.14	8.79	(+)8.65	(+)6,178.57
		2017-18	1.51	1.51	4.73	(+)3.23	(+)213.90
2.	0515-01-102	2015-16	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	(-)100.00
		2016-17	0.01	5.46	0.00	(-)5.46	(-)100.00
		2017-18	5.20	5.20	0.00	(-)5.20	(-)100.00
3.	0515-01-800	2015-16	0.00	0.00	0.06	(+)0.06	0.00
		2016-17	0.00	3.10	0.02	(-)3.08	(-)99.35
		2017-18	3.20	3.20	0.09	(-)3.11	(-)97.19

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा पुनरिक्षित अनुमानों के संबंध में उल्लेखनीय विचलन थे, जो कि अनुमानों में कमियों को इंगित करता है।

2.5 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

राज्य में वर्ष 2017-18 के दौरान 91 इकाईयों अर्थात् 19 कोषागार तथा 70 उपकोषागार, एक साइबर कोषागार देहरादून में और एक वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में थे। वर्ष 2017-18 में 54 इकाईयों³ के निरीक्षण में वृहत अनियमितताएँ पायी गयी जिसे तालिका-2.22 में समाहित किया गया है।

तालिका-2.22: कोषागारों की जाँच के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	टी आर 24 द्वारा निकाली गई असमायोजित धनराशि	2.50
2.	पी. एल. ए. खातों से अनियंत्रित धन की निकासी	26.01
3.	वित्तीय वर्ष 2016-17 में पेंशन धारकों से स्रोत पर आयकर कटौती न करना	0.40

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा कोषागारों पर की गई वार्षिक समीक्षा 2017-18।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना, एक अग्रदाय के रूप में, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं. 2) के अन्तर्गत की गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु लेना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। आकस्मिकता निधि का कोष वर्ष के दौरान ₹ 250 करोड़ से कम हो गया था तथा वर्ष 2017-18 के अंत में ₹ 500 करोड़ जमा रहा। निधि से अग्रिमों के किसी भी आहरण को उसी वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि से प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। तथापि, वर्ष 2017-18 दौरान ₹ 231.50 करोड़ के अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये जो 31 मार्च 2018 तक विधायी द्वारा अधिकृत होने के पश्चात सेवाशीर्ष से आकस्मिकता निधि में उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा 5 (2001 के अधिनियम 2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किये जाने शेष थे (परिशिष्ट-2.12)। अनुदानों एवं मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वर्षवार प्रतिपूर्ति न हुयी निधियों को परिशिष्ट-2.13 में दर्शाया गया है।

निकास गोष्ठी (दिसंबर 2018) के दौरान यह अवगत कराया गया कि प्रतिपूर्ति न हुई सभी निधियों की प्रतिपूर्ति कर ली गई है।

तालिका-2.23: आकस्मिकता निधि से व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष	आकस्मिकता निधि अग्रिम	प्राकृतिक आपदा पर व्यय	प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य व्यय		प्राकृतिक आपदा के अलावा व्यय की प्रतिशतता
			पूँजीगत व्यय	अन्य पूँजीगत व्यय	
2013-14	194.48	00	106.42	88.06	100.00
2014-15	194.15	10.00	58.38	125.77	94.85
2015-16	385.46	00	35.04	350.42	100.00
2016-17	227.70	1.77	15.46	210.47	99.22
2017-18	231.50	4.87	161.52	65.11	97.90
योग	1,233.29	16.64	376.82	839.83	

(₹ करोड़ में)

³ 21 कोषागार और 33 उपकोषागार।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा पर, जो कि आकस्मिक प्रकृति का है, आकस्मिक निधि के शून्य से 5.15 प्रतिशत के बीच व्यय किया। हालाँकि, सरकार ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि में पूँजीगत उद्देश्यों के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 376.82 करोड़ (30.55 प्रतिशत) अग्रिमों को बहाल किया। वर्ष 2017-18 के दौरान आकस्मिक निधि से मिले पूँजीगत व्यय के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि देहरादून में कोर्ट परिसर का निर्माण (₹10.00 करोड़); मुंबई में उत्तराखण्ड भवन और एम्पोरियम का निर्माण (₹ 3.96 करोड़); कोलकाता की एक फर्म को अग्रिम राशि की वापसी (₹ 1.91 करोड़); राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु राज्यांश (₹ 3.83 करोड़); और सिंचाई कार्यों पर (₹ 12.00 करोड़) किया गया व्यय प्राकृतिक आपदा के कार्यों से संबन्धित नहीं था। इसके अलावा, 39 खण्डों द्वारा सड़क और पुल के निर्माण पर ₹ 128.33 करोड़ भी खर्च किए गए। वर्ष 2017-18 के दौरान आकस्मिकता निधि से पाँच करोड़ से अधिक खर्च करने वाले पाँच खण्डों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित कार्यों पर ₹ 51.56 करोड़ में से केवल ₹ 0.27 करोड़ ही खर्च किए गए। उपरोक्त व्यय आकस्मिक निधि के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन था।

2.7 (अ) सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिलों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक ए सी बिल में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पूर्व के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक प्रभारों के विस्तृत बिल, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर करने और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिये गये हैं। मार्च 2018 के अन्त तक ₹ 0.59 करोड़ के 16 ए सी बिलों का निस्तारण अवशेष था। वर्षवार विवरण तालिका-2.24 में दिया गया है।

तालिका-2.24: सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में विलम्ब (मार्च 2018 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	अवशेष डी सी बिल	
	संख्या	राशि
2015-16 तक	5	0.35
2016-17	7	0.18
2017-18	4	0.06
योग	16	0.59

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड से संकलित सूचना।

₹ 0.59 करोड़ के कुल बकाया डी सी सी बिलों में से, ₹ 0.43 करोड़ के सात बकाया डी सी सी बिल निर्वाचन विभाग से संबंधित हैं। वर्ष 2017-18 तक की अवधि के लिए विभाग / कार्यालयवार लंबित डी सी सी बिलों की स्थिति परिशिष्ट-2.14 में दी गई है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान एसी बिलों के खिलाफ सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का विवरण निम्न चार्ट में दिया गया है:

चार्ट-2.6: बकाया डी सी बिल



ए सी बिलों के सापेक्ष बकाया विस्तृत बिलों में पर्याप्त कमी थी और ₹ 0.59 करोड़ की धनराशि के केवल 16 डी सी बिल मार्च 2018 के अंत तक बकाया थे।

2.7 (ब) असमाधानित व्यय

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण एवं इसे बजट आवंटनों के अन्तर्गत सीमित रखने तथा उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त करने हेतु उत्तराखण्ड बजट मैन्युअल 2012 का प्रस्तर 109 निर्धारित करता है कि उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाशोधन को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों कि ओर से चूक वर्ष 2017-18 के दौरान भी निरंतर जारी रहीं।

वर्ष 2017-18 के दौरान 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों में से 48 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (77.42 प्रतिशत) द्वारा ₹ 34,997.06 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 31,263.90 करोड़ (89.33 प्रतिशत) का ऐसा समाधान पूर्णतः किया गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान छः नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 2,333.18 करोड़ (कुल व्यय का 6.67 प्रतिशत) असमाधानित रहे जैसा कि तालिका-2.25 में वर्णित है।

तालिका-2.25: नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2017-18 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1.	मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड लाइपुर देहरादून	308.12
2.	प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	49.39
3.	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, उत्तराखण्ड देहरादून	40.16
4.	उपनिदेशक, निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड	1,518.72
5.	आयुक्त, श्रम, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	229.50
6.	वित्त नियंत्रक, जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	187.29
योग		2,333.18

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड से संकलित आँकड़े।


उपर्युक्त विभागों के मुख्य नियन्त्रण अधिकारियों को महालेखाकार (ले एवं ह) द्वारा निर्धारित किए गए समाशोधन करने में विफल रहने के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हालांकि अब तक (फरवरी 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लेखों के समाधान न करने के फलस्वरूप निरस्त किए गए उप मुख्य शीर्ष को कुछ नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा चलन में जारी है।

सरकार को गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं के निवारण हेतु संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाशोधन को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.8 बजट प्रक्रिया

बजट तैयारी प्रक्रिया का फ्लो चार्ट निम्न है:

चार्ट-2.7: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट



स्रोत: बजट मैनुअल के प्रस्तर 210 पर आधारित।

विभागीय अनुमान और जिले के अनुमान दोनों को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों को सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, ताकि अनुमान न तो आधिक और न ही कम हो जितना संभव हो उतने परिशुद्ध हो।

लेखापरीक्षा विश्लेषण दर्शाता है कि बजट की तैयारी में विभिन्न दोष थे जो विधायी नियंत्रण में अपनी भूमिका को कमजोर करते हैं तथा सरकार के लिए धन के प्रवाह की अनुश्रवण हेतु एक उपकरण के तौर पर भी हैं।

2.8.1 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं में निम्न कमियाँ पायी गई थीं।

- i. मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत केवल एक उप-मुख्यशीर्ष 05-राज्य आपदा मोचन निधि को दिखाया गया है जिसके अंतर्गत लघुशीर्ष 800-अन्य व्यय प्राविधानित है जबकि मुख्य तथा लघुशीर्षों की सूची के अनुसार उप-मुख्यशीर्ष 01-सूखा तथा 02-बाढ़ और चक्रवात को नहीं दिखाया गया है।
- ii. बजट साहित्य के खंड-V, भाग-III के अनुदान संख्या-22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2059 में उप-मुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102 "रखरखाव तथा मरम्मत" दर्शाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार इसे उप-मुख्यशीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 053 रखरखाव तथा मरम्मत होना चाहिए था।
- iii. अनुदान संख्या-07 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2052 में, लघुशीर्ष 800 "अन्य व्यय" के रूप में दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार लघु शीर्ष "091-संलग्न कार्यालय" एवं "092-अन्य कार्यालय" का प्रावधान है।
- iv. बजट साहित्य के खंड-V, भाग-IV में अनुदान संख्या 30 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2211 में लघुशीर्ष 101-"अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान" दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार इसे लघुशीर्ष 101-"ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ" होना चाहिए।
- v. बजट साहित्य के खंड-V भाग-I के अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2055 में लघुशीर्ष 800 "अन्य व्यय" के रूप में खोला गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।
- vi. बजट साहित्य के अनुसार पूँजीगत लेखा शीर्ष-4406 में लघु निर्माण कार्य में व्यय का प्रावधान किया गया है जबकि नियमानुसार लघु निर्माण कार्य से संबन्धित व्यय का प्रावधान राजस्व लेखे के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
- vii. बजट साहित्य के खंड-V, भाग-III के अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4701 में उप-मुख्यशीर्ष 80 के अंतर्गत लघुशीर्ष 006-"हाई-टेक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द आइडिया" को दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।
- viii. बजट साहित्य के खंड-V, भाग-III के अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4701 में उप-मुख्यशीर्ष 80 के अंतर्गत लघुशीर्ष 190 "सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश" को दर्शाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार इसे "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश" होना चाहिए।
- ix. बजट साहित्य के खंड-V, भाग-III के अनुदान संख्या 21 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 6801 में उप-मुख्यशीर्ष 05 के अंतर्गत लघुशीर्ष 190 "सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश" को

दर्शाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार इसे "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज" होना चाहिए।

इसी प्रकार की अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016-17 में भी उल्लेखित थी। हालांकि, सरकार द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया।

2.9 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 42,973.53 करोड़ के समग्र अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 471.23 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। पूँजीगत दत्तमत के अंतर्गत छः अनुदानों और पूँजीगत भारत के अंतर्गत एक विनियोग में ₹ 6,413.39 करोड़ का आधिक्य था तथा तीस अनुदानों एवं आठ विनियोग में ₹ 5,942.15 करोड़ की बचत थी, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमित किये जाने की आवश्यकता है। बड़ी बचत बजट अनुमान में कमी को इंगित करती हैं। 34 प्रकरणों में ₹ 1,367.58 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 66 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप या तो बचत हुई अथवा प्रावधानों में आधिक्य हुआ। विभागों ने वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस में ₹ 237.29 करोड़ समर्पित किये जिससे इन निधियों को अन्य विकास उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। तीन प्रकरणों में ₹ 0.15 करोड़ वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित किये गये।

राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत / आधिक्य का आंकलन एवं अभ्यर्पण कर सकती है ताकि उनका अन्य क्षेत्रों / योजनाओं में प्रभावी उपयोग किया जा सके। आधिक्य व्यय की संभावना से बचने के लिए यह पर्याप्त निधि प्राप्त कर सकता है।

वर्ष 2005-06 से 2016-17 तक की अवधि से संबन्धित आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 20,780.77 करोड़ अभी भी तक राज्य विधान मंडल से नियमित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार अपने व्यय बजट की योजना को अधिक कठोर बना सकती है ताकि यह अनुमोदित अनुदानों और विनियोगों से होने वाले आधिक्य से बचे।

22 प्रकरणों में ₹ 231.50 करोड़ की एक महत्वपूर्ण धनराशि को आकस्मिकता निधि के अंतर्गत स्वीकृत किया गया तथा सम्पूर्ण धनराशि 31 मार्च 2018 तक अप्रतिपूर्ति रही।

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम का उपयोग केवल उस खर्च को पूरा करने के लिए किया जो आकस्मिक प्रकृति का हो तथा निधि से निकली गयी उस राशि की प्रतिपूर्ति भी समय पर हो।

नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा मार्च 2018 तक ₹ 0.59 करोड़ के आहरित सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत (मार्च 2017) नहीं किया गया था।

राज्य सरकार निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष आहरित अग्रिमों को समायोजित करने के लिए कठोर अनुश्रवण तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

कोषागारों के निरीक्षण में भी उनकी कार्यप्रणाली में कमियां परिलक्षित हुयी। चौदह नियन्त्रण अधिकारियों ने अपने व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड से मिलान नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की बजट प्रक्रिया में लेखाशीर्षों के वर्गीकरण में कमियाँ पाई गयी, जिन्हें दूर नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार नियंत्रण अधिकारियों को अपने व्ययों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से समयोचित / अवधिवार समाशोधन करने हेतु निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

